

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 72 / 2020

राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरना राम, ग्राम फतेहपुर कलां, पो0 मूड़ोती तहसील नगर जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, नगर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 21.10.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरना राम, ग्राम फतेहपुर कलां, पो0 मूड़ोती तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 31.07.2020 उपखण्ड अधिकारी, नगर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/530 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं उपखण्ड अधिकारी, नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। उपखण्ड अधिकारी, नगर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, नगर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांत को प्रेषित हो।



(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर